

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा रोगों के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं—

| क्रम | नाम कार्मिक | विषय | कहाँ से | राउमावि/राबाउमावि | जिला | कहाँ को | राउमावि/राबाउमावि | जिला |
|------|---------------|---------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|------|
| 1 | प्रेमसिंह | History | फोजोनियों की ढाणी— रामरार | Barmer | नागड़दा—शिव | Barmer | | |
| 2 | मांगीलाल कहार | History | रायला | Bhilwara | वालापुरा—शाहपुरा | Bhilwara | | |
| 3 | शिवकरण शर्मा | History | रिकराली—रत्नगढ़ | Churu | बंशीधर जालान— रत्नगढ़ | Churu | | |

उक्त पदस्थापन पर किसी प्रकार का यात्राभत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा। उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 14.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/ पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित किया जावें। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(नर्मल डिल)

आई.ए.एस.

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा—माध्य/संस्था/सी—2/स्थानान्तरण/वाणिज्य—इतिहास/2018/7 दिनांक—30.07.18

प्रतिलिपि—प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक. . .
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक. . .
- सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
- सिरटम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- सम्बन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली

सुरेश नर्मल
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर